

आखिरी जांच: 24 सितंबर 2026

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

बैंक या डाकघर खाताधारकों के लिए एक साल का दुर्घटना बीमा। आयु 18 से 70 साल।

क्या मिल सकता है

दुर्घटना से मृत्यु, या दोनों आंखें, हाथ या पैर खोने पर Rs 2 लाख। एक आंख या एक अंग खोने पर Rs 1 लाख। प्रीमियम Rs 20 प्रति वर्ष।

किसके लिए है

18 से 70 साल के बैंक या डाकघर खाताधारक जुड़ सकते हैं।

मुख्य शर्तें

- कवर 1 जून से 31 मई तक चलता है और हर साल नवीनीकृत होता है।
- दावे के लिए दुर्घटना का दस्तावेजी सबूत चाहिए।

आवेदन कैसे करें

- अपने खाते वाले बैंक या डाकघर जाएं।
- नामांकन फॉर्म भरें और ऑटो-डेबिट की सहमति दें।
- खाते में सालाना Rs 20 रखें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: <https://financialservices.gov.in/pmsby>

LABHLO पेज: <https://labhlo.in/hi/schemes/central/pmsby/>



LABHLO सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

LABHLO एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंजूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।